निगम में ठेकेदारों के अधीन 4006 श्रमिक काम करते हैं।

(ख) कोयले के लदान और परिवहन कार्य में लगे ठेकेदारों के 1775 श्रमिक कोयला मजदूरी बोर्ड की सिफारिशों का लाभ प्राप्त करते हैं। सिविल निर्माण कार्यों में काम करने वाले शेष 2231 श्रमिक इस प्रकार के लाभ प्राप्त नहीं करते।

Designing and Engineering of Steel Plants by Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd.

7099. SHRI P. GANGADEB :
SHRI PRABHUDAS PATEL :

Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state :

(a) whether the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. is to be made a separate Organisation dealing exclusively with designing and Engineering of steel plants ;

(b) if so, the time by which the final decision in this regard is likely to be taken ; and

(c) how far this proposal will be helpful ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SHAHNAWAZ KHAN) : (a) A proposal to convert the Central Engineering and Design Bureau of Hindustan Steel Ltd. into a separate Company is presently under consideration.

(b) A final decision in the matter is likely to be taken in the near future.

(c) In the context of its present enlarged activities and future role, the object of the proposed conversion under consideration is to enable the Bureau to work more effectively as a Consultancy Organisation.

मध्य प्रदेश में कारखानों अथवा कम्पनियों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि का दुरुपयोग

7100. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कारखानों और कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि में समय पर अपने भाग का अंशदान करने या उक्त निधि का व्यक्तिगत कार्य के लिये दुरुपयोग करने के कारण कार्यवाही की है ;

(ख) उक्त कम्पनियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) (क) से (ग). कर्मचारी भविष्य निधि की व्यवस्था का सम्बन्ध केन्द्रीय न्यासी बोर्ड से है जो कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के अधीन स्थापित किया गया है और इससे केंद्रीय सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं है। भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा भेजा गया एक विवरण, जिसमें मध्य प्रदेश के ऐसे छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम दिए गए हैं जिनकी ओर 31-3-1971 को एक लाख और इससे अधिक रुपये की भविष्य निधि की राशि बकाया थी तथा जिसमें उस राशि को वसूल करने हेतु की गई कार्यवाही वर्णित है, सभा पटल पर रखा है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या** LT—816/71]

बंगला देश से भारी संख्या में आये शरणार्थी

7101. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडे** :
श्री प्रबोध चन्द्र :

क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश से अब तक लगभग 70 लाख शरणार्थी भारत में प्रवेश कर चुके हैं ;

(ख) इन शरणार्थियों को किन-किन राज्यों में भेजा जा रहा है ;

(ग) इन शरणार्थियों को ठहराने के लिए

इस समय प्रत्येक राज्य में अलग-अलग कितने शिविर स्थापित किए गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक शिविर में कितने शरणार्थियों को रखने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) 3-7-71 की सूचना के अनुसार, पूर्वी बंगाल से 71,44,383 शरणार्थी भारत आ चुके हैं ।

(ख) पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में दबाव को कम करने के लिए जिन शरणार्थियों ने अन्य राज्यों में शिविरों में आश्रम पाना चुन लिया है, उनको पर्याप्त संख्या में इन राज्यों से भेजने का निश्चय किया गया है । पश्चिम बंगाल से इस समय शरणार्थियों को, मध्य प्रदेश, बिहार, और उत्तर प्रदेश के राज्यों में केन्द्रीय शिविरों में भेजा जा रहा है । त्रिपुरा से शरणार्थियों को आसाम के केन्द्रीय शिविरों में भेजा जा रहा है ।

(ग) 24 जुलाई, 1971 तक निम्नलिखित राज्यों में 1029 शिविर स्थापित कर दिए गए हैं :—

राज्य	राज्य शिविर	केंद्रीय शिविर	योग
पश्चिम बंगाल	463	4	467
त्रिपुरा	401	4	405
मेघालय	17	—	17
आसाम	129	2	131
बिहार	4	1	5
मध्य प्रदेश	—	3	3
उत्तर प्रदेश	—	1	1
	1014	15	1029

इसके अतिरिक्त, आसाम में एक पड़ाव शिविर भी चल रहा है ।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे शिविरों में प्रत्येक शिविर में शरणार्थियों की संख्या राहत कार्यों के लिए संगठन सुविधाओं और भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी । जहां तक केन्द्रीय शिविरों का सम्बन्ध है, सामान्यत: प्रत्येक शिविर में 50,000 शरणार्थियों को आवास दिया जाएगा । यदि शिविर स्थल के पास और भूमि उपलब्ध हो जाती है तो उसी स्थान पर एक से अधिक शिविर भी स्थापित किए जा सकते हैं ।

मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थल पर पूर्व बंगाल से आये शरणार्थियों को बसाया जाना

7102. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व बंगाल से आये कितने शरणार्थियों को मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध स्थल पर भेजा गया है या भेजे जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) उन शरणार्थियों की संख्या कितनी है जो बगला देश में घटी घटनाओं से पूर्व ही भारत आ गये थे और उन्हें माना शिविर से उक्त स्थल पर बसाने के लिए भेज दिया गया था ; और

(ग) उक्त शरणार्थियों को इस समय क्या-क्या सुविधायें उपलब्ध हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) कोई, नहीं ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 1970 में आये शरणार्थियों में से 138 मछुआ परिवारों को माना शिविर से गांधी सागर बांध स्थल, मध्य प्रदेश में भेजा गया था । पुनर्वास स्थलों पर इन मछुआ परिवारों को निम्नलिखित सुविधायें प्रदान की जाती हैं ।